रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा):(क) ऐसा कोई मामला हमारे ध्यान में नहीं आया है।

(ख) यदि कोई विशिष्ट मामला हमारे ध्यान में लाया गया तो उस पर कार्रवाई की जायेगी।

(ग) सवाल नहीं उठता।

माल की बुकिंग

447. श्री राम स्वरूप विद्यार्थी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे कर्मचारी माल बुक करते समय "टिप" मांगते हैं;

(ख) क्या रात के समय इस "टिप" की दर कई गुना बढ़ जाती है;

(ग) क्या "टिप" न देने वाले लोगों का माल बुक तो किया जाता है किन्तु वह अपने गन्तव्य स्थान पर उस माल की तुलना में देर से पहुंचता है जिसको बुक कराने के लिये "टिप" दिया जाता है;

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (क), (ख) और (ग) के उत्तर नकारात्मक हैं तो क्या रेलवे के बुकिंग क्लर्कों तथा चीफ बुकिंग क्लर्कों के मासिक व्यय तथा उनके द्वारा अपने बच्चों की शिक्षा पर किये जाने वाले व्यय पर सरकार का विचार निगरानी करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) एकाध ऐसी शिकायतें मिली हैं जिनमें माल बुक करने के लिए नाजायज घूस की मांग करने का आरोप लगाया गया है।

(ख) इस आशय का कोई आरोप ध्यान में नहीं आया है।

(ग) रास्ते में देरी हो जाने के मामलों की जांच करने में इस तरह का कोई सामान्य संकेत नहीं दिया गया है।

(घ) और (ङ). टिकट बाबुओं और मुख्य टिकट बाबुओं के खर्च और बच्चों की शिक्षा पर उनके द्वारा किये जाने वाले खर्च की रकम पर निगरानी रखना सम्भव नहीं है। लेकिन कर्मचारियों द्वारा उनकी आमदनी के ज्ञात साधनों से अधिक परिसम्पत्ति रखने से सम्बन्धित विशिष्ट शिकायतों पर विचार किया जाता है और उन पर समुचित कार्रवाई की जाती है।

रेलवे के विरुद्ध दावों का निपटारा

448. श्री राम स्वरूप विद्यार्थी: क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि माल सम्बन्धी दावों के निपटारे की अवधि तीन वर्ष तक बढ़ा दी गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सम्बन्धित पक्ष को कारण बताये बिना ही दावों के निपटारे में विलम्ब किया जाता है;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो मेरठ छावनी और मेरठ शहर रेलवे स्टेशनों (आउट एजेंसियों समेत) से वर्ष 1965-66 और 1966-67 के दौरान बुक किये गये माल में ऐसा माल कितना है जिसके सम्बन्ध में दावे अभी तक नहीं निपटाये गये हैं; और

(घ) खाई हुई सम्पत्ति कार्यालय (उत्तर रेलवे) में कुल कितने दावे अभी अनिर्णीत पड़े हैं तथा कब से ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं। दावों को यथासम्भव शीघ्र निबटाये जाने की सम्भावना रहती है।

(ख) यद्यपि अति पूर्ति के दावों को निबटाने में लगभग एक महीने का अधिक समय

लगता है लेकिन कुछ विवाद-ग्रस्त मामलों और ऐसे मामलों को जिनमें लम्बी जांच करनी पड़ती है और जिनमें माल का दूर तक पता लगाना पड़ता है तय करने में विलम्ब अवश्य होता है। जहां इस प्रकार का विलम्ब होता है दावेदार प्रगति के बारे में पता लगाते रहते हैं और इस तरह की पूछताछ का उपयुक्त उत्तर दिया जाता है।

(ग) इस तरह दावे अनिर्णीत नहीं पड़े हुए हैं।

(घ) खोया सामान कार्यालय में कोई दावा नहीं निबटाया जाता।

Charges against British India Corporation

450. SHRI VASUDEVAN NAIR: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether charges of misuse of funds, manipulation of accounts, selling of shares at low rate etc., have been levelled against the management of the British India Corporation at the 48th annual general body meeting of the shareholders of the company held recently at Kanpur;

(b) whether Government have made any investigation into these charges;

(c) if so, the findings thereof; and

(d) the action taken thereon?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): (a) Several shareholders present at the last annual general meeting wanted clarifications on various points covering different aspects of the working of the Woollen Branches and Copper Allen unit of the Company, sale of shares in Sugar Companies, perquisites given to Shri B. L. Barjoria, circumstances in which some Directors could not sign the audited accounts of the Company, etc. A few shareholders also gave advance notice of the questions they proposed to put at the meeting.

(b) to (d). In view of the paucity of time to deal with the questions at the meeting, a Committee was appointed at the meeting to examine the questions raised thereat arising out of or concerning the accounts. The Committee is required to submit a report on such questions to the Company Law Board with a copy to the Board Directors of the Company. The Committee is expected to submit its report as early as possible.

Trade agreement with U.A.R.

451. SHRI P. C. ADICHAN: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether a new trade agreement has been signed with the U.A.R.; and

(b) if so, the terms of the agreement?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI): (a) and (b). No, Sir. The Trade Agreement of 8th July 1953 between India and the U.A.R. continues to be valid and no new trade agreement between the two countries has been signed recently. However, in June 1968 the trade plan for 1968-69 between the two countries was finalised. This trade plan provides for goods worth Rs. 64 crores to be exchanged between the two countries, during the period 1st July, 1968 to 30th June, 1969.

Heavy Engineering Corporation, Ranchi

452. SHRI BENI SHANKER SHARMA: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that four man-hole covers were purchased for